कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश

क्रमांक / शि.स्था.2 / 691 / 2021 / 19483 भोपाल, दिनांक 18/11/2021

// आदेश //

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 24.6.2021 को जारी किया गया । इस क्रम में जारी प्रावधिक चयन सूची के अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यार्थियों को मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर **गृह विज्ञान** में उनके नाम के समक्ष अंकित विधालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता हैं ।

Sr	NAME	Address	ROLLNO	RANK	CATE GORY	Selected Category	Posting Place	District-Block
1	RUBEENA KHANAM	H - 2/ 14 NEW CENTRAL JAIL COLONY KAROND BYPASS ROAD BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462038	74581152	1	UR	UR/X/F	HSS MALEGAON-23350400205	BETUL-BHAINSDEHI
2	SAMIHA TIWARI	GANPATI VIHAR NANDAN VIHAR ROAD BEHIND AMBEDKAR COLONY JABALPUR JBP MADHYA PRADESH 482002	74536714	24	EWS	EWS/X/F	Girls HSS Shahpura-23411620224	DINDORI-SHAHPURA
3	SURAJ	000 VILL BARUD POST BARUD KHARGONE KRG MADHYA PRADESH 451001	74647090	41	SC	GF/SC/X/OP	HSS GIRLS OON-23271500615	KHARGONE-KHARGONE
4	LALITA DHOTE	125 AT BHIVKUND PO BADGAON BHAINSDEHI BET MADHYA PRADESH 460220	74463307	60	OBC	GF/OBC/X/OP	HSS GIRLS BHAINSDEHI-23350413315	BETUL-BHAINSDEHI
5	KANTI BAMNE	330 OLD F SARNI GHORADONGARI BET MADHYA PRADESH 460447	74457144	136	SC	SC/X/F	HSS GIRLS BHOURA-23351008014	BETUL-SHAHPUR
6	NEHA AKODIA	H NO P-21 RISHIPURAM PHASE-2 KHAJURI KALAN BHEL BHOPAL BHP MADHYA PRADESH 462022	74466668	143	SC	SC/X/OP	Girls HSS BAJNA - 23200299903	RATLAM-BAJNA
7	DEEPSHIKHA MARKAM	VILLAGE POST RAIPURA SHAHPURA DINDORI DND MADHYA PRADESH 481990	74647202	282	ST	ST/X/OP	GHSS SAMNAPUR-23411003418	DINDORI-SAMNAPUR
8	DHAPU WASKEL	17 RAMADHAMA BASALIPURA MANAWAR DHR MADHYA PRADESH 454449	74435975	374	ST	GF/ST/X/F	GIRLS HSS DHAMNOD-23250502848	DHAR-DHARAMPURI

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2(छठवां वेतनमान 9300–34800+3600 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–9 में तत्स्थानी वेतनमान 36200–114800 के न्यूनतम वेतन रूपये 36200/– + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक–सी–3–13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु कमांक (ब) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायफण्ड के रूप में देय होगी । परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान के न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा ।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती हैं । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर मध्यप्रदेश राज्य जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के संशोधित नियम 14 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी । परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9 /3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी ।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी । उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगें । समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेगें । अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य/जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएगें । जिसकी सूची निम्नानुसार हैं :–

1. नियुक्ति आदेश ।
2. 6 पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई–मेलएड्रेस।
3. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस) ।
4. मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
5. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई हैं ।
6. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई हैं)
7. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (एन.ओ.सी) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
8. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
9. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
10. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्यड (परिशिष्ट–1)

7/ संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगें । नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्तें देकर समाप्त की जा सकेगी । नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेगें तो यह माना जावेगा कि उन्होनें अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी हैं, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा ।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा ।

10/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए परीविक्षा अवधि आगे बढ़ा दी जायेगी ।

11/ संबंधित का आगामी 3 वर्षो तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ।

12/ अनुसूचित क्षेत्रो में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा।

13/ आवासीय विद्यालयों में जहाँ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी।

विशेष टीपः– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिर्पोट में गलत या असत्य पाये जाते है अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी ।

(संजीव सिंह)
आयुक्त
जनजातीय कार्य
मध्यप्रदेश.